Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 04/14

1. दर्शनसिंह
2. जगरूपसिंह
3. मेजरसिंह पिसरान जलावरसिंह जाति जटसिख सकनाए 31 एम एल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्री गंगानगर।
2. रविन्द्रसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख साकिन चक 28 एम एल तहसील रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार,मुकलावा, रायसिंहनगर दिनांक 3.11.09

उपस्थित : 1.श्री जगमोहन आहूजा , अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2.श्री राजवीरसिंह, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट

आदेश

दिनांक : 12–12–15

प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि चक 31 एम एल तहसील रायसिंहनगर में गुरदेवसिंह के नाम से खतौनी सं0 10 के 456–16 बीघा नहरी भूमि में से (जो कि कुल 507–11 बीघा में से 456–16 बीघा थी) 44–16 बीघा बारानी 5–18 बीघा गैरमुमकिन में से 253,3/4 हिस्सा यानि 12 बीघा 15,3/4 बिस्वा भूमि खातेदारी दर्ज थी। उसने अपनी उक्त भूमि को जरिये बैयनामा दिनांक 2–5–72 से अपीलांटस को विकय करके पंजीकृत बैयनामा करवा दिया। अपीलांट खरीद की गई भूमि पर बतौर खरीददार जायज तौर से काबिज चला आ रहा है। उक्त चक 31 एम एल की भूमि कालान्तर में 85 एलएन पी में ट्रान्सफर हो गई है। भूमि का इंतकाल किसी कारण से अपीलांटस के नाम ना हो पाने के कारण चक 85 एल एन पी में भी गुरदेवसिंह पुत्र धर्मसिंह के नाम दर्ज हो गया। गुरदेवसिंह पूरी रकम प्राप्त कर बेचान कर चुका था। अपीलांटस भी उक्त भूमि का मामला अदा करते आये हैं तथा काश्त करते आ रहे हैं। राजस्व रेकार्ड के गलत इन्द्राज का लाभ उठाकर बिना कानूनी अधिकार के वसीयत दिनांक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (सज.)

पंजीयक से तस्दीक करवा ली। गुरदेवसिंह के फौत होने पर रेस्पो0 सं0 2 ने चुपचाप उक्त गलत वसीयत का लाभ उठाते हुए अधीनस्थ में इंतकाल दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश दिनांक 26–10–09 को करवा कर उसके आधार पर इंतकाल सं0 306 दिनांक 3–11–09 को तस्दीक करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस भूमि का इंतकाल स्वीकृत किया गया है, वह भूमि अपीलांटस की खरीदशुदा भूमि है और आज तक उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है। अपीलाटंस प्रभावित पक्षकार थे, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें किसी प्रकार से सुनवाई का नोटिस जारी नहीं किया है। इंतकाल एकपक्षीय पारित किया गया है। लैण्ड रेकार्डस रूल्स के आज्ञाप्क प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। गुरदेवसिंह को वसीयत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। अपीलाधीन भूमि का बेचान चक 31 एम एल में होते हुए दिनांक 2–5–72 को किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य लिये अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत किया गया है। चक 31 एम एल से 85 एल एन पी में ट्रांसफर होने खसरा से मुरब्बा बंदी होने पर मु0 नं0 3–4 में परिवर्तित होने तथा अपीलांटस के कब्जा काश्त में भूमि आदिनांक तक है। रेस्पो0 सं0 2 को अपीलाधीन भूमि के संबंध में वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। वसीयत की वैधता के बारे में घोषणा का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को हैं। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

अपील बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि अपीलाधीन भूमि अपीलांटस ने वर्ष 1972 में गुरदेवसिंह से जरिये रजि0 बैयनामा खरीद कर ली थी। खरीद की दिनांक से ही अपीलांट अपीलाधीन भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। भूमि के लगान संबंधी मामला भी अपीलांटस द्वारा ही भरा जाता है। गुरदेवसिंह को अपीलाधीन भूमि के बारे में वसीयत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। चक 31 एम एल से 85 एल एन पी में भूमि ट्रांसफर होने पर चक 85 एल एन पी में मु0 नं0 (3)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

117/393 एवं मु0 नं0 (4) 118/393 में परिवर्तन हो गया। इस संबंध में पत्रावली पर जमाबंदी चक 31 एम एल मु0 नं0 39 व 40 व चक 85 एल एन पी के मु0 नं0 3 व 4 व मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लैण्ड रिकार्ड रूलस के आज्ञाप्क प्रावधानों की पालना नहीं की है। अपीलांटस को सुनवाई हेतु विधिवत् नोटिस जारी नहीं किये हैं जबकि अपीलांटस आवश्यक पक्षकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिवत् सुनवाई एवं बिना कानूनी प्रावधानों की पालना किए अपीलाधीन इंतकाल पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल खारिज किया जावे।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर इंतकाल स्वीकार किया है। समस्त विधिक औपचारिकाओं की पूर्ति की गई है। समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशन करवाया गया है। कानूनी प्रावधानों की पालना पूर्ण रूप से की गई है। अपील मियाद बाहर पेश की गई है। गुरदेवसिंह ने अपने पोते रेस्पो0 सं0 2 के पक्ष में रजि0 वसीयत करवाई है। उनकी मृत्यू के बाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व अधीनस्थ न्न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन भूमि गुरदेव सिंह द्वारा 02.05.1972 को दर्शन सिंह, मेजर सिंह व जगरूप सिंह पिसरान जलावर सिंह अपीलांटस को जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा से विक्रय कर दी थी। मूल विक्रयनामा अपीलांट्स द्वारा दौराने बहस अवलोकन हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। गुरदेव सिंह द्वारा दिनांक 02.06.2004 को उप पंजीयक मुकलावा से अपने पोते रेस्पोडेंट संख्या 02 रविन्द्र सिंह के पक्ष में वसीयत पंजीबद्ध करवाई है। गुरदेव सिंह के देहान्त के बाद रविन्द्र सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.10.2009 के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर रेस्पौडेंट संख्या 02 के पक्ष में इंतकाल दर्ज करने के आदेश पारित किये, जिसकी पालना में अपीलाधीन इंतकाल संख्या 306 स्वीकृत किया गया है जबकि वसीयतकर्त्ता गुरदेव सिह द्वारा अपीलाधीन भूमि की

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

रजिस्टर्ड वसीयत जो दिनांक 02.06.2004 को की गई है, से 32 वर्ष पूर्व अपीलाधीन भूमि का बैचान अपीलांटस को रजिस्टर्ड दस्तावेज बैयनामा से कर दिया गया था। इस प्रकार जब अपीलाधीन भूमि अपीलांट्स को वर्ष 1972 में बेचान कर कब्जा अपीलांट्स को सौंप दिया गया था तो वसीयतकर्त्ता गुरदेव सिंह को वसीयत करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। जहां तक भूमि का प्रश्न है कि चक 31 एम एल की भूमि कालांतर में चक 85 एलएनपी में ट्रांसफर हो गई और इस भूमि पर कब्जा भी अपीलांटस का चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा सिंचाई विभाग की लगान की प्रतियां दिनांक 09.10.2015, मार्च 2015 पेश की गई है, जिसके अनुसार भी मामला अपीलांट द्वारा ही जमा करवाया जा रहा है। खसरा मिलान की प्रमाणित प्रति एवं जमाबन्दियों में दर्ज अपीलाधीन भूमि एक ही है। अतः वर्ष 1972 में बेचान हुई भूमि के तथ्य को छिपाकर वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज कराने में रेस्पोडेंट विधिक रूप से अधिकारी नहीं था तथा वसीयतकर्ता गुरदेवसिंह अपीलाधीन भूमि का मालिक ही नहीं था। नामान्तरण संख्या 92 दिनांक 30.08.1976 को सक्षम अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर स्वीकृत किया गया था लेकिन उसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण अपील की स्थिति पैदा हुई है। उक्त इंतकाल की फोटो प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी रजि0 बैयनामा की प्रमा0 प्रति उपलब्ध थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं कर अपीलाधीन इंतकाल पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन इंतकाल निरस्त किया जाता है। अपीलांटस रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर नियमानुसार इंतकाल दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

आदेश आज दिनांक 12.12.2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/12/15

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर